संख्या-670/78-2-2018-53आई0टी0/2012

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
राजस्व, कृषि, ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, ऊर्जा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, श्रम, महिला कल्याण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, समाज कल्याण, वन, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, गृह, वित्त (निबन्ध फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स), पशु पालन, दुग्ध विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग, लोक निर्माण, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट एवं माप (विधिक माप विज्ञान विभाग), उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आबकारी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास (यमुना एक्सप्रेस-वे, पिकप, यू. पी.एस.आई.डी.सी., ग्रेटर नोएडा, नोएडा अथॉरिटीज़), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, धर्मार्थ कार्य, लोक शिकायत (आई.जी.आर.एस.) विभाग, उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से इन्टीग्रेटेड रूप में उपलब्ध जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत आच्छादित ऑनलाइन सेवाओं के निस्तारण का डाटा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत आच्छादित जन सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग कर आम जनमानस को उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

2- यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश में लगभग 70 हजार जन सेवा केन्द्र स्थापित किये गये है जोकि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्रियाशील है, जिनके माध्यम से विभागों की ऑनलाइन सेवायें आम जनमानस अपने द्वार के समीप जनसेवा केन्द्र पर जाकर प्राप्त कर सकता है।

3- जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत 224 सेवायें आच्छादित है जिनको ऑनलाइन कर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल/निवेश मित्र पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने की

कार्यवाही माह नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ की गयी। सम्बन्धित विभागों द्वारा विगत् वर्ष में लगभग 170 सेवायें आम जनमानस को मैनूअल पद्धति से उपलब्ध करायी जा रही थी जिनमें से वर्तमान में 153 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत आच्छादित **33 विभागों की 181 सेवायें** आम जनमानस के उपयोगार्थ ऑनलाइन की जा चुकी है। उक्त **181 ऑनलाइन सेवाओं में से 93 सेवाओं का इन्टीग्रेशन ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से पूर्ण कर लिया गया है एवं 27 सेवाओं का इंटीग्रेशन निवेश मित्र पोर्टल से पूर्ण कर लिया गया है।** शेष सेवाओं को ऑनलाइन कर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल/निवेश मित्र पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण की जा रही है।

4– वर्तमान में प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से **31 विभागों की 226 सेवायें (संलग्नक–1)** आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे तद्दिनांक तक प्रदेश के लगभग 15.50 करोड़ आम जनमानस लाभान्वित हो चुके है।

5– ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं में से कुछ सेवायें इन्टीग्रेटेड रूप में उपलब्ध हैं जिनका सिर्फ आवेदन का डाटा ही ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्राप्त होता है जिसके कारण इन्टीग्रेटेड सेवाओं के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के सापेक्ष कितनी सेवायें निर्धारित समयावधि में एवं कितनी सेवायें निर्धारित समयावधि के उपरान्त उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा कितनी लम्बित हैं, सम्बन्धी डैशबोर्ड की व्यवस्था समीक्षा/अनुश्रवण हेतु सुनिश्चित किया जाना है जो कि राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निम्नवत् **05 Key Performance Indicator (KPI)** का निर्धारण किया गया है जिसकी जिलावार सूचना सम्बन्धित विभागों द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर वेब सर्विसेज़/ए.पी.आई. के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी:–

1. Applications Received
2. Applications Disposed
3. Applications Canceled
4. Applications Disposed within SLA/Timelines defined in Janhit Guarantee Act, Uttar Pradesh.
5. Applications Disposed beyond SLA/Timelines defined in Janhit Guarantee Act, Uttar Pradesh.

6– उपरोक्त के क्रम में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं के सापेक्ष आवेदन एवं आवेदन के निस्तारण की स्थिति एक ही पोर्टल (**http://edistrict.up.nic.in**) पर विकसित डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के लिये विभागों द्वारा निम्नवत् कार्यवाहियां की जानी अपेक्षित है:–

(i) विभागीय पोर्टल को विकसित करने वाली तकनीकी कार्यदायी संस्था का समन्वय ई–डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी., लखनऊ एवं सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 (सी.ई.जी.) टीम से करना।

(ii) विभागीय सेवाओं के सापेक्ष आवेदन के निस्तारण की स्थिति को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने हेतु टेक्नीकल इन्टीग्रेशन गाइडलाईन्स (संलग्नक–2) के अनुसार कार्यवाही किया जाना। उक्त वेब सर्विसेज़ / ए.पी.आई. ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://164.100.181.28/IntWebDispoDetail/GetIntDispoDetail.asmx) पर भी उपलब्ध है।

(iii) इन्टीग्रेशन सम्बन्धी अन्य जानकारियों हेतु श्री शैलेश श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (मोबाईल नम्बर–9838971775, ई–मेल आई.डी. –shailesh.srivastava@nic.in) तथा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, कन्सल्टेण्ट, स्टेट ई–गवर्नेन्स मिशन टीम, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन (मोबाईल नम्बर–7379041406, ई–मेल आई.डी.–jitendra.s@semt.gov.in) से सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 / 2, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, अपट्रॉन बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ।
7. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0, अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव